छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 733/2007

1. मो0 फारूख, – शिकायतकर्ता
पूनम होटल के पीछे,
प्रतापगंज वार्ड, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – अनावेदक
कार्यालय आयुक्त, नगर निगम,
जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 17 अगस्त, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता मो0 फारूख द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर निगम, जगदलपुर के समक्ष दिनांक 21.06.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर जानकारी नहीं दिये जाने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 22.09.2007 को शिकायत प्रस्तुत की गई। इसी शिकायत में उनके द्वारा वन संरक्षक, जगदलपुर से जानकारी नहीं मिलने का उल्लेख किया था, किन्तु बाद में वन संरक्षक से जानकारी मिल जाने के कारण उनके विरूद्ध शिकायत नस्तीबद्ध कर दी गई थी।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से और उसके बाद रायपुर में उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, नगर निगम को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 06.03.2009 को प्रस्तुत किया गया। जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद होने के कारण जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जा चुका है। जन सूचना अधिकारी, नगर निगम, जगदलपुर द्वारा उनके यहॉं उपलब्ध जानकारी दी जाने का उल्लेख किया है, किन्तु शिकायतकर्ता उक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं है और उसे अपने किसी न्यायालयीन कार्यवाही के लिए कुछ और जानकारी चाहिए थी, जो उन्हें नहीं दी जाना बताया गया। आयोग के समक्ष तर्कों में शिकायकर्ता ने यह बताया कि अब उन्हें केवल यह जानकारी चाहिए कि महारानी वार्ड का गठन वर्ष 2002 के पूर्व कब हुआ था तथा यह जानकारी नहीं दी गई है। आयुक्त, नगर निगम तथा जन सूचना अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय को यह निर्देश दिये गये थे कि नगर निगम/नगर पालिका का कार्य देखने वाली शाखाओं में यह जानकारी उपलब्ध हो तो शिकायतकर्ता को 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे, किन्तु अंतिम सुनवाई दिनांक को जन सूचना अधिकारी, नगर निगम तथा जन सूचना अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय ने यह बताया कि ढूंढ़ने पर भी यह जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। यह स्थिति संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि एक वार्ड के गठन की जानकारी निश्चित रूप से नगर निगम अथवा कलेक्टर कार्यालय की संबंधित शाखाओं में मिलनी चाहिए, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त जानकारी ढूंढ़ने का पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया है। प्रकरण में शिकायतकर्ता को अधिकांश जानकारी नगर निगम द्वारा दी जा चुकी है, किन्तु यह एक जानकारी उन्होंने अभी–तक दिया जाना नहीं बताया है। अतः इस प्रकरण में कलेक्टर, बस्तर तथा आयुक्त, नगर निगम, जगदलपुर को अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे स्वयं शिकायतकर्ता को बुलवाकर उनकी सुनवाई करें और इस प्रकरण में उनके द्वारा चाही गई शेष जानकारी को अच्छी तरह से अपने कार्यालय अथवा रिकार्ड रूम में ढूंढ़वायें तथा संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क अवलोकन कराया जावे और 15 दिवस में उक्त जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में विलंब के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए नगर निगम की ओर से धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 200/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com